सं०सं०–1/बे०कॉ०–01/2018– 123(1)स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,

सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय मेडिकल कॉलेज,

बेतिया।

पटना, दिनांक– 28/3/2019

विषयः– राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया को विपत्र कोड–20–2210051050023 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू० 1,63,96,000/– (रुपये एक करोड़ तिरसठ लाख छियानवे हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया का पत्रांक–684, दिनांक–20.03.2019 के आलोक में राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया को विपत्र कोड–20–2210051050023 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में वेतनादि मद में कुल रू० 1,63,96,000/– (रुपये एक करोड़ तिरसठ लाख छियानवे हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्नरुपेण दी जाती है–

विषय शीर्ष	पूर्व का बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0023.01.01 वेतन	180000000	135000000	15000000	150000000	30000000
0023.01.03 जीवन यापन भत्ता	20000000	15000000	1300000	16300000	3700000
0023.01.04 मकान किराया भत्ता	28537000	21402750	80000	21482750	7054250
0023.01.05 परिवहन भत्ता	1152000	864000	10000	874000	278000
0023.01.06 चिकित्सा भत्ता	2016000	1512000	6000	1518000	498000
0023.01.07 अन्य भत्ता	0	0	0	0	0
योग– वेतन एवं भत्ते	**231705000**	**173778750**	**16396000**	**190174750**	**41530250**

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2), दिनांक–17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक–12.04.06, 2938/वि०(2), दिनांक–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी– 0023– राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया, विपत्र कोड–20–2210051050023 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

क्रमशः

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

8. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, बेतिया से की जाएगी।

9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

10. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/बे0कॉ0–01/2018– 123(1) ब0/स्वा0, पटना, दिनांक– 28/3/2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिलाधिकारी, बेतिया/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव